(100)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1856–एक/2007 – विरूद्व आदेश दिनांक 16–10–2007 पारित व्दारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 181/2002–03 निगरानी

रामदेव पुत्र संपतकुमार गर्ग
ग्राम खुटहा तहसील मझगवां
जिला सतना मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्व

1– म0प्र0शासन
2– सीताराम पुत्र जगन्नाथ उरमलिया
ग्राम खुटहा तहसील मझगवां
जिला सतना मध्य प्रदेश ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)
(अनावेदक क–2 के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक क–1 के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 14–09–2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 181/2002–03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16–10–2007 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसील न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम खुटहा स्थित उसके स्वत्व की भूमि स0 क0 506 के सीमांकन की मांग की । नायव तहसीलदार वृत्त जैतवारा तहसील

रघुराजनगर ने प्रकरण कमांक 1 अ—12/1998—99 पॅजीबद्व किया तथा राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराया। नायव तहसीलदार ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 31—7—2001 पारित किया एंव राजस्व निरीक्षक व्दारा किये गये सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने कलेक्टर जिला सतना के समक्ष निगरानी कमांक 35 अ—12/2000—01 प्रस्तुत की। कलेक्टर जिला सतना ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 27—5—2003 पारित किया तथा निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 181/2002—03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16—10—2007 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक व्दारा सीमांकन आवेदन प्रस्तुत करने पर नायव तहसीलदार वृत्त जैतवारा तहसील रघुराजनगर ने राजस्व निरीक्षक को सीमांकन के निर्देश दिये है तथा राजस्व निरीक्षक ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देकर सीमांकन करते हुये प्रतिवेदन दिनांक 18—3—1998 प्रस्तुत किया है जिस पर आपत्ति प्रस्तुत कर दी गई। फलतः नायव तहसीलदार ने पुनः संयुक्त टीम बनाकर सीमांकन के आदेश दिये है । सीमांकन दल ने पुनः सीमांकन करके पूर्व में किये गये सीमांकन को सही होना बताया, जिस पर फिर से आपत्ति आवेदन दिनांक 20—10—2000 प्रस्तुत करते हुये राजेश तिवारी राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराये जाने की मांग की गई। इसके वाद पुनः दल गठित किया गया एंव सीमांकन करवाया गया। दिनांक 9—1—2001 को सीमांकन दल ने सीमांकन

किया है, तदुपरांत नायव तहसीलदार ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 31—7—2001 पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कमी—वेशी न होने के कारण कलेक्टर जिला सतना ने निगरानी प्रकरण कमांक 35 अ—12/2000—01 मे पारित आदेश दिनांक 27—5—2003 में एंव आयुक्त , रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 181/2002—03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16—10—2007 में नायव तहसीलदार के आदेश को विधिवत् पाते हुये निगरानी निरस्त की है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त , रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 181/2002—03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16—10—2007 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर